16.04.26

कुल (10) अभियुक्तों की ओर से हाजरी दी गयी। पुकार पर अभियुक्तगण अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुये। अभियुक्त की विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उचित बंध पत्र प्राप्त कराया अभियोजन आरोप - सुनवाई के बिन्दु पर सुना।

अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद में धारा- 341, 323, 307, 504, 34 भा० द० वि० के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है।

लगातार

P Paper Reqd & Adw 16|04|26

GR-901/21

सगाहा
16.04.26

जिसमें कि धारा-307 भा० द० वि० का आरोप विरचन सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः वाद सेशन-सुपुर्दगी का आदेश पारित किया जाता है। कार्या० लिपिक वाद सेशन-सुपुर्दगी की औपचारिकता आदि पूर्ण कर श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुपौल को एवं एक प्रति विरचन लोक अभियोजक सुपौल को भेजे तथा पत्रावली अविलंब श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुपौल के न्यायालय में भेजें। अभियुक्तों को निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 16.05.2026 को श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल के न्यायालय में सशरीर उपस्थित रहेंगे।

द०

(AMIT GOURAV)
A.C.J.M., BIRPUR